6

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज।

पत्र संख्याः–सीएफओ/कार्यशी0/2019–3 दिनॉकः–अप्रैल, 12, 2019

सेवा में,

प्रबन्धक/आवेदक,
ललिता शास्त्री पब्लिक स्कूल,
माण्डा, प्रयागराज

विषय– ललिता शास्त्री पब्लिक स्कूल, माण्डा, प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः– आवदेक के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में ।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रबन्धक/आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के माध्याम् से ललिता शास्त्री पब्लिक स्कूल, माण्डा, प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त ललिता शास्त्री पब्लिक स्कूल, माण्डा, प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का परीक्षण तथा निरीक्षण कराया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1– विद्यालय भवन में अग्निशमन के सभी प्रकार के वाहन आ जा सकते है।
2– फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 मानक 2190 के अनुसार उपलब्ध पाये गयें।
3– निकास मार्ग मानक के अनुरूप हैं ।
4– अग्निशमन व्यवस्थायें एन0बी0सी0 2016 मानक के अनुसार वाछंनीय होगी।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर स्कूल भवन में लगे उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता हैं।

1– प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थओ का सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाना अपेक्षित है।

2– किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

3– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाना अपेक्षित है।

4–प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियो को प्रदान की जाना अपेक्षित है

5– वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा,फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

6– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

7– अग्निशमन उपकरणों का अनुरक्षण एवं मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण बनाये रखना आवश्यक होगा अथवा निर्गत किया जा रहा कार्यशीलता प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(रवीन्द्र शंकर मिश्र)
(आर0एस0मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज।

प्रतिलिप– प्रभारी अग्निशमन केन्द्र मेजा को सूचनार्थ।